



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 26 राँची, बुधवार

16 जुलाई, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 549-553 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION18th June, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-416/2025-3603--Government of Jharkhand hereby accord consent under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) to the all the members of Delhi Special Police Establishment to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand, upon request made vide letter No.-567 CBI/ACB/Ranchi, dated 05.06.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against Sh. Sahil Ratusaria, the then Garrison Engineer, MES, Ranchi for committing offences u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 (As amended in 2018) and other offence(s) that may come into light during investigation of the case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION18th June, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-417/2025-3604--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole state of Jharkhand upon request made via letter number 273/CO-5/2025, dated 05.06.2025 of S.P. & Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of a regular case against employee of BCCL, Dhanbad for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**18th June, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-418/2025-3605--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole state of Jharkhand upon request made via letter number 275/CO-6/2025, dated 06.06.2025 of S.P. & Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of a regular case against employee of Bank of India, Giridih for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 जून, 2025

संख्या-13/आई0पी0एस0-116/2023-2399--श्री अमित रेणु, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, नक्सल (अभियान), झारखण्ड, को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-16.06.2025 से 15.07.2025 तक 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आलोक कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

7 जुलाई, 2025

संख्या-13/डी1-104/2014-2733--सी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21017/05/2022-IPS.III, दिनांक-08.04.2025 के आलोक में डॉ० संजय ए० लाठकर, भा०पु०से० (1995), अपर पुलिस महानिदेशक रेल, झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर, अपर पुलिस महानिदेशक के वेतनमान में, परमाणु उर्जा विभाग में I.G. (Security) के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।**गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**-----
अधिसूचना

7 जुलाई, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस०-108/2019-2734--श्री ऋषव कुमार झा, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-06.07.2025 से 15.07.2025 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु विदेश (Hong Kong) भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना**12 जून, 2025**

संख्या-1/विविध-813/2023 कां०- 3436--श्री लालचन्द डाडेल, भा.प्र.से. (झा:2010), प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-13(1) के तहत कुल 28 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले दिनांक- 13.05.2025 से 26.05.2025 तक कुल 14 दिनों का रुपान्तरित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
